न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

उनवान– रामवतार बनाम जोरावर आदि

किस्म मुकदमा– प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट मु.नं0 64 वर्ष 2021

दिनांक	आज्ञा पत्र	
05.12.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 ता 6 बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जा चुकी है। बहस टी0आई0 सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ख0नं0 1108/1000 रकबा 0.52 है0 ख0नं0 999 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.54 है0 वाके ग्राम अजबपुरा प0ह0 सांगरवा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में स्थित है। वादग्रस्त भूमियों पर प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड में हक ह्विस्सा है, जिस पर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। वर्णित भूमियां प्रार्थी को अपने पिता से विरासत में प्राप्त भूमियां है, जिस पर प्रार्थी का 1/5 हिस्सा तथा शेष हक हिस्से पर अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 का हक हिस्सा है। वादग्रस्त भूमियों में प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 की माता बनारसी देवी फौत हो चुकी है, जिसका विरासत का नामान्तकरण खुलना अभी बाकी है। वंशावली मद सं0 4 अनुसार है। प्रार्थी एंव अप्रार्थी0सं0 1 ता 3 एक ही परिवार एंव वंशज के सदस्य है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूमियों में विरासत के आधार पर प्रार्थी को खातेदारी प्राप्त हुई है। प्रार्थी की पारिवारिक स्थिति काफी कमजोर होने के कारण प्रार्थी अधिकतर कमाने खाने के लिए परिवार सहित बाहर रहता है। प्रार्थी वर्तमान मे अपने परिवार सहित टाटा नगर जमशेदपुर जिला पुर्वी सिंह भूम झारखण्ड में किराये के मकान में निवास करता है, जिसका नाजयज फायदा अप्रार्थी0सं0 1 ता 3 उठाना चाहते है। वे प्रार्थी की माता के हक हिस्से की खातेदारी अपने नाम कराने कि चेष्टा में संलग्न है। अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 आपस में गुट बना रखे है। जो प्रार्थी के हक ह्विस्से से वंचित करना चाहते है। जिसके कारण इनके मन में बेईमानी आ गयी है और भुमाफिया लोगों से मिलकर प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलदांजी पैदा करने लग गये है एंव प्रार्थी के हक हिस्से में आयी भूमि को ह्डपने कि दृष्टि से उस पर आये दिन झगडा फसाद करने पर तुले रहते है। प्रार्थी को आये दिन धमकी देते रहते है कि अभी वादग्रस्त भूमियों का मौके पर कोई विभाजन नहीं हुआ है और अभी राजस्व रिकार्ड में बंटवारा नहीं हुआ है। हम इस भूमि को भूमाफियों एंव शराब माफिया के लोगों को बेचान करके तुम्हे बेदखल कर देगें और प्रार्थी अपने हक हिस्से से प्राप्त भूमियों पर बुबाई जुताई का कार्य करने पर ये लोग लडाई झगडा करते है। इस प्रकार उपरोक्त भूमियों का पक्षकारों के मध्य बाई मिट्स एंड बाउण्डस विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हुआ है, जिसका राजस्व रिकार्ड एंव मौके पर बंटवारा किया जाना अति आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि इसे स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया है कि वे वादग्रस्त कृषि भूमियों के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने हेतु निवेदन किया है कि वे वादग्रस्त कृषि भूमियों के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।	

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट पेश करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 03.12.21 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर राजस्व ग्राम अजबपुरा प0ह0 सांगरवा तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 1108/1000 रकबा 0.5200 है0 ख0नं0 999 रकबा 0.0200 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.5400 है0 के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखने हेतु पाबन्द किया गया था।

चूंकि प्रार्थी द्वारा वाद बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एंव बंटवारा अंतर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया है, जिसमें विभाजन प्रस्ताव जारी किये जा चुका है। जिसमें तहसीलदार,दांतारामगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अंतिम डिक्री जारी की जानी है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बहुलता नहीं बढ़े इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद सं0 78/2021 उनवानी रामवतार बनाम जोरावर आदि के निस्तारण तक राजस्व ग्राम अजबपुरा प0ह0 सांगरवा तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 1108/1000 रकबा 0.5200 है0 ख0नं0 999 रकबा 0.0200 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.5400 है0 के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर